न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— हरफूल सिंह यादव (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बरः— 09/2016

उनवान प्रकरण

अतरसिंह पुत्र पातीराम जाति बघेला निवासी ग्राम मौला का पुरा मजरा कासिमपुर तहसील व जिला धौलपुर

प्रार्थी

बनाम

1—हरप्रसाद पुत्र श्री क्षत्रपाल जाति बघेला निवासी ग्राम मौला का पुरा मजरा कासिमपुर तहसील व जिला धौलपुर
2—श्रीमान तहसीलदार, तहसील धौलपुर जिला धौलपुर

अप्रार्थीगण

(रेफरेन्स प्रार्थना पत्र धारा 82 एल0आर0एक्ट)

उपस्थिति अभिभाषकगण :—

प्रार्थी की ओर से — श्री अमितसिंह बघेला एडवोकेट
अप्रार्थी सं01 की ओर से — श्री रामबकील एडवोकेट
अप्रार्थी सं02 की ओर से — श्री गोपाल नारायन शर्मा राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांक 21.02.2018**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत रैफरेन्स राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 82 के तहत निम्नानुसार प्रेषित किया गया है कि विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 813 रकवा 08 विस्वा बॉके ग्राम दीवान का पुरा पटवार हल्का कासिमपुर तहसील धौलपुर की किस्म गैर मुमकिन पोखर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। उक्त विवादित भूमि पशुओं के पानी पीने एंव जल को संकलित करने के लिये एवं जल से

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

अन्य उपयोगों के लिये काम में लायी जाती रही है। विवादित आराजी धारा 16 आर.टी. एक्ट के तहत खातेदारी से अपवर्जित होते हुये भी नामान्तकरण संख्या 257 शामिल जमाबंदी सम्बत 2045 से 2048 के द्वारा फतेसिंह पुत्र सुन्दरा कौम काछी नाम व्यक्ति को बन्दोवस्त विभाग ने व अन्य व्यक्तियों ने उक्त फतेसिंह की खातेदारी में अवैध रूप से अंकित कर दिया और इसी अनुसरण में अप्रार्थी हरप्रसाद द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलजुल कर अपना नाम बतौर खातेदार राजस्व अभिलेख में अवैध रूप से उक्त विवादित आराजी पर दर्ज करा लिया है। अप्रार्थी के पक्ष में हुये खातेदारी के इन्द्रांजात अवैध एवं अनियमित है। गैर मुमकिन पोखर की भूमि पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार बिना भूमि किस्म परिवर्तन के नहीं दिये जा सकते है इसके बावजूद भी फतेसिंह पुत्र सुन्दरा कौम काछी को खातेदारी अधिकार उक्त विवादित आराजी गैर मुमकिन पोखर दर्ज होते हुये बिना भूमि किस्म परिवर्तन के दे दिये गये है जो पूरी तरह से अवैध व अनियमितता वरतते हुये दिये गये है एवं ऐसे खातेदारी अधिकार तत्पश्चात निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त विवादित आराजी के गैर मुमकिन पोखर सम्बधी इन्द्रांजात को आरम्भ से राजस्व अभिलेखों में दर्ज होने के इन्द्राजात को दृष्टिगत रखते हुये अप्रार्थी हरप्रसाद के नाम खातेदारी के इन्द्रांज को निरस्त किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। अतः रेफरेन्स प्रकरण स्वीकार किये जाने की प्रार्थीना की है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दी सम्बत 2070 से 2073 खाता संख्या 132, नकल जमाबन्दी सम्बत 2053 से 2056 खाता संख्या 196, नकल जमाबन्दी सम्बत 2045 से 2048 खाता संख्या–94, नकल जमाबन्दी सम्बत 2041 से 2044 खाता संख्या–93, नकल नामान्तकरण संख्या 257 शामिल जमाबन्दी सम्बत 2045 से 2048, नकल जमाबन्दी सम्बत 2036 से 2039, नकल जमाबन्दी सम्बत 2036 से 2039 खाता संख्या–86 बांके ग्राम कासिमपुर पेश किये है।

उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से श्री रामबकील एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये। अप्रार्थी संख्या–1 ने अपना जबाव पेश किया जिसमें उन्होने कथन किया कि विवादित आराजी कभी भी पोखरनुमा नहीं रही और ना ही उक्त स्थल पर पानी भरा तथा उक्त स्थल हमेशा से समतल रहा है और वर्तमान में भी है। जिसमें हमेशा फसल उत्पन्न होती रही है। उक्त स्थल कृषि योग्य होने से बन्दोवस्त विभाग द्वारा फतेसिंह पुत्र सुन्दरा कौम काछी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये और तभी से फतेसिंह उक्त आराजी पर काबिज होकर अपनी पूंजी एंव श्रम लगाकर फसल योग्य बनाया और तभी निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है। जिस स्थल अथवा भूमि पर लगातार 10 वर्षो से पानी नहीं भरा हो उसे कृषि योग्य माना जाता है जबकि

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

उत्तरदाता की कृषि भूमि में लगभग 50 वर्षो से पानी नहीं भरा है तथा 50 वर्षो से विवादित आराजी पर फसल हो रही है जिससे उक्त स्थल की किस्म स्वंतः ही परिवर्तित हो चुकी है। अप्रार्थी/उत्तरदाता ने पूर्व खातेदारों से उक्त विवादित आराजी को जरिये बयनामा पंजीबद्व क्रय किया गया है तथा पूर्व खातेदार फतेसिंह एंव उनके वारिसान का विपरीत लम्बे कब्जे के आधार पर भी खातेदारी अधिकारों को निरस्त नहीं किया जा सकता। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र म्याद बाहर प्रस्तुत किया गया है तथा फतेसिंह को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये करीब 50 वर्ष हो गये है। प्रार्थी ने 50 वर्ष पश्चात फतेसिंह की खातेदारी अधिकार को निरस्त कराने के लिये प्रार्थना पत्र रैफरेन्स प्रस्तुत किया है जो काबिज खरिजी योग्य है। विवादित आराजी पर फतेसिंह की खातेदारी अधिकार रहे एवं उनके पश्चात उनके वारिसान के नाम राजस्व अभिलेख की प्रविशिष्टि में नामान्तकरण दर्ज किये गये एवं उत्तरदाता का नामान्तकरण खोला उस समय किसी भी व्यक्ति ने कोई भी आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जिससे भी उत्तरदाता की खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रैफरेन्स गलत, आधारहीन तथ्यों के आधार पर काल्पनिक रूप से दुर्भावना से प्रस्तुत किया गया है जिसे खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी ने अपने जबाव के समर्थन में नकल मिसल बन्दोवस्त सम्बत 2028 ग्राम कासिमपुर, नकल जमाबन्दी सम्बत 2032से 35, नकल जमाबन्दी सम्बत 2041से 44, नकल जमाबन्दी सम्बत 2045से48, नकल जमाबन्दी सम्बत 2053से 56, नकल जमाबन्दी आधार वर्ष 2005, नकल जमाबन्दी सम्बत 2057से60, नकल जमाबन्दी सम्बत 2058से61, नकल जमाबन्दी सम्बत 2066से69, नकल जमाबन्दी सम्बत 2070से73, नकल खसरा सम्बत 2070से 73, सत्यप्रति वयनामा तारीखी 30.1.2014 विक्रेता श्रीलाल क्रेता हरप्रसाद, पेश की है।

वहस विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी वहस में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त विवादित आराजी की किस्म गैर मुमकिन पोखर दर्ज रेकार्ड है। उक्त विवादित भूमि पशुओं के पानी पीने एंव जल को संकलित करने के लिये एवं जल से अन्य उपयोगों के लिये काम में लायी जाती रही है। नामान्तकरण संख्या 257 शामिल जमाबंदी सम्बत 2045 से 2048 के द्वारा फतेसिंह पुत्र सुन्दरा कौम काछी नाम व्यक्ति को बन्दोवस्त विभाग ने व अन्य व्यक्तियों ने उक्त फतेसिंह की खातेदारी में अवैध रूप से अंकित कर दिया और इसी अनुसरण में अप्रार्थी हरप्रसाद द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलजुल कर अपना नाम बतौर खातेदार राजस्व अभिलेख में अवैध रूप से उक्त विवादित आराजी पर दर्ज करा लिया है। अप्रार्थी के पक्ष में हुये खातेदारी के इन्द्रांजात अवैध एवं अनियमित है। गैर मुमकिन पोखर की भूमि पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार बिना भूमि किस्म परिवर्तन के नहीं दिये जा सकते है आर टी एक्ट 1955 की धारा 16 के तहत गैरमुमकिन पोखर पर खातेदारी देय नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जावे।

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

अप्रार्थी संख्या–1 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी कभी भी पोखरनुमा नहीं रही और ना ही उक्त स्थल पर पानी भरा तथा उक्त स्थल हमेशा से समतल रहा है और वर्तमान में भी है। जिसमें हमेशा फसल उत्पन्न होती रही है। उक्त स्थल कृषि योग्य होने से बन्दोवस्त विभाग द्वारा फतेसिंह पुत्र सुन्दरा कौम काछी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये और तभी से फतेसिंह उक्त आराजी पर काबिज होकर निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है। जिस स्थल अथवा भूमि पर लगातार 10 वर्षो से पानी नहीं भरा हो उसे कृषि योग्य माना जाता है जबकि उत्तरदाता की कृषि भूमि में लगभग 50 वर्षो से पानी नहीं भरा है तथा 50 वर्षो से विवादित आराजी पर फसल हो रही है जिससे उक्त स्थल की किस्म स्वंतः ही परिवर्तित हो चुकी है। अप्रार्थी/उत्तरदाता ने पूर्व खातेदारों से उक्त विवादित आराजी को जरिये बयनामा पंजीबद्व कय किया गया है तथा पूर्व खातेदार फतेसिंह एंव उनके वारिसान का विपरीत लम्बे कब्जे के आधार पर भी खातेदारी अधिकारों को निरस्त नहीं किया जा सकता। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र म्याद बाहर प्रस्तुत किया गया है तथा फतेसिंह को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये करीब 50 वर्ष हो गये है। प्रार्थी ने 50 वर्ष पश्चात फतेसिंह की खातेदारी अधिकार को निरस्त कराने के लिये प्रार्थना पत्र रैफरेन्स प्रस्तुत किया है जो काबिल खरिजी योग्य है।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी वहस में कथन किया कि विवादित आराजी की किस्म राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन पोखर दर्ज है। उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित है जिस पर खातेदारी अधिकार देय नही है। प्रकरण रैफरेन्स योग्य है। रैफरेन्स प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भेजा जाना उचित है।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। विवादित आराजी खसरा नम्बर 813 रकवा 08 विस्वा वाके ग्राम दीवान का पुरा पटवार हल्का कासिमपुर तहसील धौलपुर की किस्म मुताबिक भू–प्रबन्ध खतौनी सम्बत 2028 में गैर मुमकिन पोखर दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी सम्बत 2032से 2035, सम्बत 2036 से 2039, सम्बत 2041 से 2044, सम्बत 2045 से 2048 सामिल नामान्तकरण संख्या 257, नकल जमाबन्दी सम्बत 2053 से 2056 एवं सम्बत 2070 से 2073 में भी उक्त विवादित आराजी की किस्म गैर मुमकिन पोखर दर्ज है। इस प्रकार उक्त विवादित आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत खातेदारी से अपबर्जित होते हुये भी नामान्तरण संख्या 257 सामिल जमाबन्दी सम्बत 2045 से 48 के द्वारा फतेसिंह पुत्र सुन्दरा कौम काछी नामक व्यक्ति को बन्दोवस्त विभाग ने अन्य व्यक्तियों ने फतेसिंह की खातेदारी में अबैध रूप से अंकित कर दिया और इसी अनुसरण में उक्त विवादित आराजी वर्तमान में अप्रार्थी हरप्रसाद की खातेदारी के इन्द्रांजात तथा बन्दोवस्त विभाग ने किये

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

न्याया0अति.जिला कलक्टर
रेफरेन्स प्रकरण संख्या 09/2016

इन्द्रांजात अनियमित प्रतीत होते है। वैसे भी उक्त रेफरेन्स अब्दुल रहमान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 के परिपेक्ष्य में आता है। उक्त आदेश में नदी, नाले, पानी बहाब, पानी का भराब में किसी प्रकार बाधा नही हो इसलिये 1947 की स्थिति कायम करने हेतु विधिक प्रकिया अपनाकर कार्यवाही करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले में निर्देश दिये गये है। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले में दिये निर्देश अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 813 रकवा 08 विस्वा वाके ग्राम दीवान का पुरा पटवार हल्का कासिमपुर तहसील धौलपुर किस्म गैर मुमकिन पोखर पर अप्रार्थी हरप्रसाद के नाम दर्ज खातेदारी निरस्त कराने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः ग्राम दीवान का पुरा पटवार हल्का कासिमपुर तहसील धौलपुर के विवादित आराजी खसरा नम्बर 813 रकवा 08 विस्वा, किस्म गैर मुमकिन पोखर पर अप्रार्थी के नाम दर्ज खातेदारी अधिकार निरस्ती हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किया जाता है तथा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में उभयपक्षों की सुनवाई हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.03.2018 नियत की जाती है।

प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाया जाकर नम्बर से कम किया जावे।

(हरफूल सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
धौलपुर (राज.)